Union" Government has urged the States to implement the Powerloom Workers Insurance Scheme.

(b) Six State Governments had started implementing the Powerloom Workers insurance Scheme during the year 1993-94. The other States are actively considering its adoption.

(c) Under this scheme an annual premium of Rs. 120 for an Insurance cover of Rs. 10,000 is to be equally shared by the Central Government State Government and the Powerloom Worker. Therefore, an assistance of Rs. 40 per worker insured would be provided by the Union Government.

Recovery of Excise and Customs Locked up in Litigation

*409. SHRI RAJNI RANJAN SAHU :
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) how much of recoveries on account of Central Excise and Customs are locked up in litigation for over a year; and

(b) what steps are being taken to speed up the recovery ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) The amounts of Customs and Central Excise duties/penalties, as on 31-12-93, whose recovery has been stayed by the Supreme Court and High Courts are as follows :—

(Amount in Clores; S

	upreme Court	High Court
Central Excise	207.99	305.90
Customs	31.09	15.20

(b) Steps taken to speed up the recovery of revenue locked up in litigation, include periodical review and monitoring of cases pending before various courts, furnishing to courts issue-wise list of pending cases to enable their being bunched for early disposal, filing caveats in some cases in courts to obviate ex-parte stays and close liaison with Ministry of Law tor pursuing the Supreme Court and the High Courts for early hearing of cases and vacation of stay orders.

टिहरी बांध परियोजना में परिवर्तन

*410. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिहरी बांध परियोजना के मूल रूप को बहुत बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर मूल रूप से कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान था;

(ग) अब इस परियोजना के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) मार्च, 1994 तक इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार अभी तक परियोजना के निर्माण के लिए अपेक्षित राशि की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर पाई है; और

(च) यदि हां, तो परियोजना के शेष निर्माण कार्य के लिए आवश्यक राशि किन-किन स्रोतों से जुटाई जाएगी ?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे): (क) और (ख) : टिहरी बांध परियोजना को मूल रूप में एक राज्य क्षेत्र परियोजना के रूप में 197.92 करोड़ रुपये की लागत पर 600 मे० वा० की प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ जून, 1972 में निवेश मंजूरी प्रदान की गई थी । तत्पश्चात्, 1983 में प्रतिष्ठापित क्षमता को 1000 मे० वा० तक बढ़ा दिया गया था । एक वृहत् जल विद्युत काम्प्लेक्स के कार्यान्वयन हेतु सोवियत ऋण की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए 1988 में अन्य संघटकों की संवृद्धि के साथ इस परियोजना की क्षमता को और बढ़ाकर 2400 मे० वा० कर दिया गया था ।

(ग) टिहरी बांध परियोजना (1000 मे० वा०) को अब कार्यान्वयन हेतु, 3334.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया है ।

(घ) मार्च, 1994 तक इस परियोजना पर 873 करोड़ रुपये (अनंतिम) की राशि खर्च की जा चुकी है ।

(ङ) तथा (च) राज्य सरकार की संसाधन कठिनाइयों के कारण टिहरी परियोजना को भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में सोवियत तकनीक तथा वित्तीय सहायता के साथ एक वृहत् जल विद्युत काम्प्लेक्स के एक अंग के रूप में कार्यान्वयन हेतु हाथ में लिया गया था । सोवियत संघ का विघटन होने से सोवियत ऋण अब उपलब्ध नहीं हैं । और इस प्रकार टिहरी परियोजना के लिए संशोधित वित्त पोषण व्यवस्था की गई है ।